भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE

Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006

बीछ्वाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६

पत्रावली क्रमांक:07(ii)07/CS/FPA/2020-21/ दिनांक: 22.12.2021.

संस्थान प्रक्षेत्र के विभिन्न प्रखण्डो में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 1850 बेर के पौधो में लगे हुए फलों की खुली नीलामी (दिनांक: 29.12.2021 को सुबह 11.00 बजे) के विस्तृत नियम व शर्तें:-

1. संस्थान के फार्म के विभिन्न प्रजातियों के लगभग 1850 बेर के पौधों में लगे हुए फलों की नीलामी की जानी है।
2. बेर के जिन फलों की नीलामी की जानी है, इस बाबत किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु संस्थान के प्रभारी फार्म से संपर्क किया जा सकता है।
3. नीलामी में भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति **[पेन कार्ड की फोटो प्रति के साथ]** को बयाना राशि के रुप में **रु.2500/- (रुपये दो हजार पांच सौ मात्र)** जमा कराने होगें।
4. जिस व्यकित के नाम से बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की कुल राशि का एक तिहाई (33%) मौके पर ही जमा कराना होगा। शेष दो तिहाई राशि संस्थान के बोली स्वीकार्य बाबत पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर जमा करानी होगी। तत्पश्चात ही सफल बोलीदाता को तुडाई कार्य प्रारंभ करने का अनुबंध (नोन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार करने पर कार्यादेश जारी किया जावेगा एवं ठेकेदार द्वारा तुडाई कार्य शुरु किया जावेगा।
5. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में बोली की संपूर्ण राशि जमा न कर पाने की अवस्था में उसके द्वारा जमा करायी गयी बयाना राशि एवं बोली की एक तिहाई राशि संस्थान द्वारा जब्त कर ली जावेगी। साथ ही उसके पक्ष में स्वीकृत बोली को रद्द कर दिया जायेगा। किस स्थिति में द्वितीय अधिकतम बोली दाता की बोली स्वीकार करने या फलों के विक्रय हेतु पुन: नीलामी आयोजित करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
6. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि फलों की तुडाई के दौरान बेर वृक्षों और संस्थान के अन्य बगीचों/वृक्षों एवं अन्य संपत्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुचें। बेर बगीचे या उसके आस-पास आग जलाना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
7. संस्थान से कार्यादेश पत्र मिलने के पश्चात बेर फलों के तुडाई का कार्य कार्यादेश जारी होने के तीन माह या मार्च अन्त तक में पूर्ण कर लेना होगा। तत्पश्चात ठेकेदार का कोई हक बेर फलों पर नही रहेगा। इस अवधि में बेर फलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ठेकेदार का ही होगा।
8. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के स्थानीय करों इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की ही होगी एवं इसकि लिये संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।
9. फलों की तुडाई का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस पर तकनीकी कर्मचारी (बेर खण्ड) की देखरेख में प्रात: 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य ही संपन्न करना होगा। रविवार को फलों की तुडाई नही होगी। प्रत्येक पौधे से प्राप्त फलों का वजन लेने के पश्चात ही ठेकेदार को फल दिये जायेगें। संस्थान में कार्यरत बंदी श्रमिकों को फलों के तुडाई के लिये नही लगाना होगा, अन्यथा ठेका तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा। तोडे गये फलों को संस्थान के बाहर ले जाने से पहले गेट-पास लेना अनिवार्य है।

...2...

10. जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ संस्थान के अनुसंधान कार्यो के लिये बेर प्रखण्ड में से प्रत्येक किस्म के 500 ग्राम बेर फल ठेकेदार द्वारा संस्थान को निशुल्क उपलब्ध कराने होंगे।

11. फलों की तुडाई, भंडारण, रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नही करायेगा।

12. किसी भी प्राकृतिक आपदा (पाला, वर्षा, आधी-तुफान, पशुओ एवं पक्षीयों से नुकसान इत्यादि) एवं अन्य किसी भी कारण से फलों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नही होगी।

13. तुडाई अनुबंध के कार्य संपादन हेतु लगाए जानेवाले श्रमिकों को मजदुरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से इसके लिए उत्तरदायी नही होगा।

14. ठेकेदार (सफल बोलीदाता) की बयाना राशि (Earnest Money) का पुनर्भतान (Refund) तुडाई का कार्य पूर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर ही किया जायेगा। इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) एवं बैंक खाते की जानकारी आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी

15. भारत सरकार/राजस्थान सरकार/जिला अधिकारी द्वारा जारी कोविड गाईडलाईनों/ नियमों की अनुपालना करना अनिवार्य होगा।

16. अधिकतम बोलीदाता के हक में बोली छोडने या न छोडने का अधिकार संस्थान के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय ही अंतिम होगा।

-sd-

प्रशासनिक अधिकारी

भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

I.C.A.R.-CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE

बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - 334006

(दुरभाष नं.0151-2253123/2250960) ciah.icar.gov.in

बेर फलों की नीलामी सूचना

सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की और से निदेशक, भाकृअनुप-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान फार्म के विभिन्न प्रखण्डो में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 1850 बेर वृक्षो में लगे हुए फलों की खुली नीलामी संस्थान के प्रक्षेत्र कार्यालय पर दिनांक 29.12.2021 को **सुबह 11.**00 बजे आयोजित की जावेगी। खुली नीलामी में शामिल होने हेतु इच्छुक फर्म/व्यक्ति **रु.2500**/- (रुपये दो हजार पांच सौ मात्र) की बयाना राशि जमा करवाकर बोली लगा सकते है। इस संबंध में विस्तृत नियम एवं शर्ते संस्थान के प्रशासनिक कार्यालय एवं प्रक्षेत्र कार्यालय [10वें कि.मी. का पत्थर, श्री गंगानगर हाईवे, बीछवाल, बीकानेर] के सूचना पट्ट तथा संस्थान की वेबसाइट **ciah.icar.gov.in** एवं CPPNIC Portal http//:eprocure.gov.in/eprocure/app पर उपलब्ध है

-sd-

प्रशासनिक अधिकारी